>

Title: Need to enhance the Provident Fund Pension of retired Government employees.

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि के पेंशन में बढ़ोत्तरी पिछले 16.11.1995 में की गयी थी और उसके द्वारा पेंशन स्कीम का लाभ उन गरीब मेहनतकश कर्मचारियों को मिला। लेकिन पिछले 14-15 वर्षों में मंहगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, किंतु कर्मचारियों के भविष्य निधि पेंशन में बढ़ोत्तरी के लिए सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसा मालूम होता है कि कर्मचारियों को उनकी उचित मांग से वंचित किया जा रहा है। अब तो यह खबर आ रही है कि सरकार अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के पेंशन में वृद्धि करने के बजाय भविष्य निधि की धारा 12 एवं 13 को ही समाप्त करने जा रही है इससे छोटे पेंशन भोगी को छः सौ रुपया प्रतिमाह का नुकसान होगा। जहां सरकार को उन्हें लाभ पहुंचाने का कार्य करना चाहिए वहां उनके पेंशन में कटौती की जाने वाली है। अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से अन्याय होगा।

अतः मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ और आग्रह करता हूँ कि भविष्य निधि की धारा 12 एवं 13 को समाप्त करने के बजाय पेंशन में उचित बढ़ोतरी के लिए अविलम्ब कदम उठायें और करोड़ों अवकाशप्राप्त कर्मचारियों के परिवार को लाभ पहुंचाने का कार्य करें।